उत्तराखंड समान नागरिक संहिता

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि **लिव-इन रिलेशनशिप में** वृद्धि हो रही है और [समान नागरिक संहिता](#) **(UCC) का** उद्देश्य **महिलाओं और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को समायोजित करना है।**

मुख्य बिंदु

- **न्यायालय की टिप्पणियाँ:**
  - उच्च न्यायालय ने UCC के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं।
  - राज्य **ने 26 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की** तथा लिव-इन रिलेशनशिप के लिये पंजीकरण अनिवार्य कर दिया।
  - अदालत ने कहा कि **लिव-इन रिलेशनशिप में वृद्धि हो रही है और कानून का उद्देश्य महिलाओं और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है।**
- **न्यायालय में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उठाई गईं:**
  - यह तर्क दिया गया कि UCC **राज्य की अत्यधिक निगरानी की अनुमति देता है तथा गोपनीयता के अधिकार** के तहत संरक्षित व्यक्तिगत विकल्पों को प्रतिबंधित करता है।
  - यह कानून एक **"कठोर वैधानिक व्यवस्था"** स्थापित कर रहा था, जो व्यक्तिगत संबंधों पर पूछताछ, अनुमोदन और दंड को अधिकृत करता है।
  - यह कहा गया कि यद्यपि समाज लिव-इन संबंधों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी कानून का उद्देश्य बदलते समय के अनुरूप ढलना है।
- **उत्पीड़न और सतर्कता की संभावना:**
  - सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC के आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि इससे **बहुसंख्यकवादी विचारों का विरोध करने वाले दंपतियों के विरुद्ध उत्पीड़न और हिंसा बढ़ सकती है।**
  - यह चेतावनी दी गई है कि यह कानून लिव-इन रिलेशनशिप का **विरोध करने वाले समूहों द्वारा सतर्कता को बढ़ावा दे सकता है ।**
  - इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि कानून किसी भी व्यक्ति को लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता पर सवाल उठाने की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।
  - पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार जैसे गोपनीय दस्तावेज़ों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने पर भी आपत्ति जताई गई।
- **राज्य सरकार का बचाव:**
  - अदालत ने **सॉलिसिटर जनरल से** पूछा कि क्या उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले जनता से सुझाव मांगे थे और क्या उन सुझावों को शामिल किया गया था।
  - यह तर्क दिया गया कि UCC निजता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और यह केवल महिलाओं को अन्याय से बचाने के लिये **एक नियामक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह कानून सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बना है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uttarakhand-uniform-civil-code